



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पास, जे.एल.एन. मार्ग, झालाना लिंक रोड,
जयपुर (फोन एवं फैक्स न. 0141-2719136)

क्रमांक पं. 6 ()/रा.सू.आ./संस्था/सलाहकार/2020/338-344 दिनांक:- 7-2-2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सलाहकारी सेवाओं (कन्सलटेन्सी सर्विसेज) हेतु सलाहकारों (कन्सल्टेन्ट्स) के सूचीकरण के लिये कार्यालय पत्रांक प. 6(04)/रासूआ/संस्था/सलाहकार/2019/3051-55 दिनांक 20.12.2019 के द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) जारी की गई थी। सूचीकरण हेतु गठित समिति के समक्ष साक्षात्कार के क्रम में उपस्थित आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों का सूचीकरण कर सलाहकारी सेवाएं देने हेतु परिशिष्ट II में अंकित शर्तों के अनुसार तीन माह के लिये नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	चयनित आवेदक का नाम	पदनाम एवं विभाग का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं
1.	श्री उदय सिंह पालावत	संयुक्त निदेशक, राजस्थान राज्य विद्यत नियामक आयोग, जयपुर
2.	श्री राम खिलाडी रावत	संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, भारत सरकार

उक्त सलाहकार आयोग कार्यालय में सात दिवस में स्वयं की उपस्थिति देंगे व सेवा शर्तों के संबंध में रूपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करेंगे।

— 5d —

(राधे प्रताप सिंह)

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय सूचना आयुक्त-द्वितीय/तृतीय
3. श्री यू.एस. पालावत, सलाहकार/श्री-आर.के. रावत, सलाहकार
4. प्रोग्रामर को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश को उपापन पोर्टल व आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. रक्षित पत्रावली

— 5d —
सचिव